FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0027 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/02/2026 20:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/02/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/02/2026 20:18:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARALYA NAGARPALIKA ANOOPGARH, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KUNAL BHATIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUBHSHCHANDRA BHATIYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	178, VINOBHA BASTI,, NAI DHANMANDI GATE, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	178, VINOBHA BASTI,, NAI DHANMANDI GATE, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUNIL KUMAR		पिता:INDRAJ RAM	1. GOAN CHAK 5 U.D.M.,ANUPGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	SURESH KUMAR		पिता:LEELARAM	1. WARD NO.4/5,,PREMNAGAR,ANUPGARH,GANGA
3	BHARAT SONI		पिता:HUKAMCHAND	1. WARD NO.17,SHANIMANDIR KE PASS,ANUPGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		48,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 48,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषयः-श्री सुनील कुमार लेखाकार एवं सुरेश कुमार स्टोरकीपर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै कुनाल भाटिया पुत्र श्री सुभाषचन्द्र भाटिया निवासी म.न. 178 विनोबा बस्ती, नई धानमंडी गेट, श्रीगंगानगर का रहने वाला हूं। मेरी मैसर्स आर.एन. इन्टरप्राईजेज नाम की अनूपगढ में फर्म है, मेरी फर्म द्वारा नगरपालिका अनूपगढ में वित्त वर्ष 2025-26 का नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली, डीजल, ड्राईवर सहित किराये पर लेने का राशि 9.97 लाख रूपये का कार्य ठेके पर ले रखा है, जिसका प्रथम बिल राशि 4,09,000/रूपये का बाद कटोति भुगतान मेरी फर्म को हो चुका है तथा अब दूसरा बिल राशि 3,06,000/रूपये का बिल भुगतान हेतु श्री सुनील कुमार लेखाकार नगरपालिका अनूपगढ को पेश किया हुआ है। इसी प्रकार मेरी फर्म को नगरपालिका अनपूगढ के कार्य आदेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 से नगरपालिका क्षेत्र में दीपावली पर साफ सफाई हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली डीजल मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया था, जिसका 50,000/रूपये का बिल भुगतान हेतु नगरपालिका में श्री सुनील कुमार लेखाकार को पेश किया हुआ है। मेरे अनूपगढ नगरपालिका के उक्त कार्य श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 18 अनूपगढ देखते है, उनके द्वारा फर्म के पेण्डिग भुगतान के सम्बधं में सम्पर्क किया तो श्री सुनील कुमार लेखाकार व श्री सुरेश कुमार स्टोरकीपर ने उक्त किये गये भुगतान प्रथम बिल राशि 4,09,000/रूपये का 15 प्रतिशत कमीशन(रिश्वत) की मांग की तथा कमीशन देने पर ही पेण्डिग बिलो का भुगतान करने हेतु कहा है, नही देने पर भुगतान नही करने की धमकी दे रहे है, चूंकि रिश्वत की मांग श्री राजेन्द्र कुमार से की जा रही है, इसलिये अग्रिम समस्त कार्यवाही श्री राजेन्द्र कुमार करेगे, जो मेरे साथ आये है। मै अपने जायज काम के लिये सुनील कुमार व सुरेश कुमार को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते पकड़वाना चाहते है, उनसे कोई रंजिश नही है तथा ना ही उनसे कोई उधार का लेन देन है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 19.01.2026 प्रार्थी एसडी कुनाल भाटिया पुत्र श्री सुभाषचन्द्र भाटियानिवासी म.न. 178 विनोबा बस्ती, नई धानमंडी गेट, श्रीगंगानगर। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.01.2026 वक्त 5.30 पीएम पर परिवादी श्री कुनाल भाटिया पुत्र श्री सुभाषचन्द्र भाटिया निवासी म.न. 178 विनोबा बस्ती,नई धानमंडी गेट, श्रीगंगानगरने स्वयं चैकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, महोदय से मिलकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री कुनाल भाटिया से मिलवाकर उनका प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने परिचित से लिखवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी मैसर्स आर.एन. इन्टरप्राईजेज नाम की अनूपगढ में फर्म है, मेरी फर्म द्वारा नगरपालिका अनूपगढ में वित्त वर्ष 2025-26 का नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली, डीजल, ड्राईवर सहित किराये पर लेने का राशि 9.97 लाख रूपये का कार्य ठेके पर ले रखा है, जिसका प्रथम बिल राशि 4,09,000 /रूपये का बाद कटोति भुगतान मेरी फर्म को हो चुका है तथा अब दूसरा बिल राशि 3,06,000/रूपये का बिल भुगतान हेतु श्री सुनील कुमार लेखाकार नगरपालिका अनूपगढ को पेश किया हुआ है। इसी प्रकार मेरी फर्म को नगरपालिका अनपूगढ के कार्य आदेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 से नगरपालिका क्षेत्र में दीपावली पर साफ सफाई हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली डीजल मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया था, जिसका 50,000/रूपये का बिल भुगतान हेतु नगरपालिका में श्री सुनील कुमार लेखाकार को पेश किया हुआ है। मेरे अनूपगढ नगरपालिका के उक्त कार्य श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 18 अनूपगढ देखते है, उनके द्वारा फर्म के पेण्डिग भुगतान के सम्बधं में सम्पर्क किया तो श्री सुनील

कुमार लेखाकार व श्री सुरेश कुमार स्टोरकीपर ने उक्त किये गये भुगतान प्रथम बिल राशि 4,09,000/रूपये का 15प्रतिशत कमीशन(रिश्वत) की मांग की तथा कमीशन देने पर ही पेण्डिग बिलो का भुगतान करने हेतु कहा है, नही देने पर भुगतान नही करने की धमकी दे रहे है, चूंकि रिश्वत की मांग श्री राजेन्द्र कुमार से की जा रही है, इसलिये अग्रिम समस्त कार्यवाही श्री राजेन्द्र कुमार करेगे, जो मेरे साथ आये है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी के साथ आये श्री राजेन्द्र कुमार ने भी मजीद दरियाफ्त पर अपना नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 18 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना तथा कुनाल भाटिया की फर्म आर.एन. इन्टरप्राईजेज के नगरपालिका अनूपगढ के कार्यो के सम्बधं में देखरेख करना बताया तथा परिवादी श्री कुनाल भाटिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र के सम्बधं में अग्रिम कार्यवाही करवाने की अपनी सहमति दी। परिवादी कुनाल भाटिया द्वारा नगरपालिका अनूपगढ द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 1441 दिनांक 25.06.25 एवं कार्यादेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 की फोटो प्रति तथा राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोमनाथ जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 18 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर को अपनी फर्म के नगरपालिका अनूपगढ के कार्य की देखरेख करने बाबत 100/रूपये के स्टाम्प पर लिखित अधिकार पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन शामिल कागजात किये गये। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को कहा गया तो सह परिवादी ने बताया कि मै आरोपीगण की मौजूदगी का पता करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर सह परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री शिवदत्त कानि. से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी व सह परिवादी को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 21.01.26 को सह परिवादी राजेन्द्र कुमार ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि आरोपी लेखाकार बाहर गया हुआ था, कल आरोपीगण नगरपालिका कार्यालय में मौजूद मिलेंगे, कल मैं रिश्वत मांग सत्यापन करवा दूंगा। दिनांक 22.01.26 को वक्त 09.30 एएम पर श्री शिवदत्त कानि. को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर अनूपगढ की ओर रवाना किया गया। वक्त 7.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री शिवदत कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे को पेश कर बताया कि मै सुबह श्रीगंगानगर से रवाना होकर अनूपगढ में गोपनीय स्थान पर पहूंच सह परिवादी राजेन्द्र कुमार से मिला व वक्त करीब 2.40 पीएम पर सह परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु नगरपालिका अनूपगढ की ओर रवाना कर गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया था। परिवादी करीब एक घण्टे बाद नगरपालिका कार्यालय से वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डरपेश कर बताया कि मैं नगरपालिका कार्यालय अनूपगढ में आरोपी सुरेश कुमार स्टोरकीपर व सुनील कुमार लेखाकार से मिला तो उन्होने मेरे को भुगतान किये गये बिल राशि4 लाख रूपये का 12प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 48,000/रूपये रिश्वत की मांग की है, परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी बीमार है, इसलिये मै आज ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर नही जा सकता, आईंदा मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मै अनूपगढ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो सह परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 26.01.26 एवं 27.01.26 को सह परिवादी के पिताजी बीमार होने के कारण ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नही आ सका तथा वही अनूपगढ आने हेतु कहा। जिस पर दिनांक 27.01.26 को वक्त 3.00 पीएम पर दिनांक 28.01.26 को अग्रिम कार्यवाही हेतु अति.आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर से स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक को पाबंद करवाया गया। दिनांक 28.01.26 वक्त 8.00 एएम पर तलबिदा गवाहान श्री राहूल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। वक्त 8.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री नरेन्द्र कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि., श्री रमन दायमा कानि., श्री उपेन्द्र कुमार कानि., शिवदत्त कानि., श्री धर्मवीर कानि. एवं श्री पंकज शर्मा कानि./ड्रा. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब अनूपगढ की ओर रवाना हुआ। फिनॉपथलीन पाउडर रमन दायमा कानि. से सरकारी बोलेरो गाड़ी के डेस्कबोर्ड में रखवाकर साथ लिया गया। वक्त 10.10 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अनूपगढ रिको स्थित प्लॉट संख्या 01 पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार उपस्थित मिला, सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राहूल क.स. व श्री सुरेन्द्र कुमार क.स. से आपसी परिचय करवाया गया तथा सह परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 22.01.26 को सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने आरोपीगण श्री सुनील कुमार लेखाकार एवं श्री सुरेश कुमार स्टोरकीपर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता

को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व सह परिवादी के कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर सुनाना शुरू किया जाकर वक्त 11.55 एएम तक रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व सह परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री सुनील कुमार लेखाकार व तीसरी आवाज श्री सुरेश कुमार स्टोरकीपर की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप के जरिये श्री शिवदत्त कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'V' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 12.05 पीएम पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/रू के 96 नोट कुल 48,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है-1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8SH 980136, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4DC 402280, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0MV 627575, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2RP 753389, 5 एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8DN 791163, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7TK 679715, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5GH 729698, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5HP 701987, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5BL 425835, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6PT 646551, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8WP 036114, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7BB 261517, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3ED 691205, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0AC 818214, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6HC 530469, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9DT 687903, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8MF 736061, 18. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4TT 726850, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6BB 003625, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8AC 956008, 21. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3WU 306362, 22. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4DP 300126, 23. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9KS 696617, 24. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4GE 327381, 25. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8BH 717777, 26. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8AU 927795, 27. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1TW 816374, 28. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4VB 587007, 29. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1BT 892995, 30. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7QR 757887, 31. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3WU 816045, 32. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5DH 544091, 33. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6CM 169251, 34. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7SM 665347, 35. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1BL 901005, 36. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4CH 545591, 37. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3LR 707943, 38. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5GS 948789, 39. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1SE 457378, 40. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6MP 958631, 41. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8CT 771727, 42. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1BK 324516, 43. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9QV 242638, 44. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3WK 084097, 45. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7VW 137159, 46. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4BS 892870, 47. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9LL 242873, 48. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6VT 956797, 49. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1GM 715873, 50. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3HP 067605, 51. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9LR 512299, 52. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1GG 209618, 53. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5CG 376827, 54. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3LR 020120, 55. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3LR 020121, 56. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6RD 912578, 57. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6EP 981234, 58. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0UW 295113, 59. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4BS 768422, 60. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1FP 903677, 61. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2AL 021781, 62. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3BR 484285, 63. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3PD 563558, 64. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0UA 125543, 65. एक नोट पांच सौ रूपये

का भारतीय मुद्रा न. 4LC 591188, 66. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2TC 361598, 67. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0BQ 123452, 68. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8QF 475931, 69. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3GN 958307, 70. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7QC 146519, 71. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2QF 344552,72. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6EC 868497, 73. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9VC 621900, 74. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5ME 461041, 75. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8DU 279222, 76. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4MF 547985, 77. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6RE 289507, 78. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5UB 277531, 79. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2DT 536324, 80. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8PE 228171,81. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4WU 067871, 82. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9EP 725921, 83. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5LL 656603, 84. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7EN 617710, 85. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5QG 631141, 86. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3WD 693531, 87. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6PM 910890, 88. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8SD 214785, 89. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0BR 582166, 90. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0DP 443861, 91. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0BM 517543, 92. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8TR 495675, 93. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2HG 505050, 94. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8KL 017676, 95. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7GD 121318, 96. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5PG 135030 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री रमन दायमा कानि0 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी सरकारी गाड़ी के डेस्कबोर्ड से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री राहूल से सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 48,000/- रूपये के नोटो को श्री रमन दायमा कानि. के जरिये सह परिवादी के पहने जैकेट के साईड की दांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपीगण की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपीगण के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपीगण को देवे, आरोपीगण को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। सह परिवादी को आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री रमन दायमा कानि. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री रमन दायमा कानि. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सह परिवादी व आरोपीगण के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई तथा श्री रमन दायमा कानि. को फिनॉपथलीन पाउडर की शीशी देकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर रवाना किया गया। दिनांक 28.01.26 को वक्त 12.50 पीएम पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने अपने सूत्रो के जरिये आरोपीगण की मौजूदगी का मालूमात करवाया तो मुख्य आरोपी श्री सुनील कुमार लेखाकार के आज नगरपालिका अनूपगढ में नही आना ज्ञात हुआ। सह परिवादी ने बताया कि सुनील कुमार लेखाकार के पास अन्य नगरपालिकाओ का भी अतिरिक्त कार्यभार है, यदि वह आना होता तो करीब 11-11.30 बजे तक नगरपालिका पहूंच जाता, आज अनूपगढ नही आयेगा, इस प्रकार आज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। जिस पर सह परिवादी को सुपुर्द शुदा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 48,000/रूपये को गवाह श्री राहूल क.स. से सह परिवादी के पहनी जैकेट की साईड की दांयी जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को कल दिनांक 29.01.26 को इसी स्थान पर मिलने की हिदायत कर वही से रूख्सत करते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर वक्त 03.30 पीएम ब्यूरो कार्यालय पहूंच सह परिवादी से प्राप्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 48,000/रूपये सरकारी गाड़ी के डेस्कबोर्ड से निकलवाकर श्री नरेन्द्र कुमार मु.आ. के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कल सुबह 10 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया।दिनांक 29.01.26 वक्त 10.00 एएम पर

तलविदा गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। वक्त 10.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री नरेन्द्र कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भवानी सिंह कानि., श्री सुरेन्द्र सिंह कानि., श्री रमन दायमा कानि., श्री उपेन्द्र कुमार कानि., शिवदत्त कानि., श्री धर्मवीर कानि. एवं श्री पंकज शर्मा कानि./ड्रा. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स तथा रिश्वत में प्रयुक्त राशि 48,000/रूपये साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर अनूपगढ रिको स्थित प्लॉट संख्या 01 पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार उपस्थित मिला। जिसकी गवाह श्री राहूल क.स. से तलाशी करवायी जाकर उसके पास पहने कपड़ो व जैकेट तथा मोबाईल के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। फिर श्री धर्मवीर कानि. के जरिये रिश्वत राशि 48000/रूपये सह परिवादी के पहने जैकेट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा वक्त रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सह परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात सह परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथो को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। वक्त 2.30 पीएम पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार को जगदीश राय मु.आ. व भवानी सिंह कानि. व गवाह श्री राहूल क. स. के साथ उसकी निजी कार से आरोपी से सम्पर्क करने कार्यालय नगरपालिका अनूपगढ की रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर वक्त 2.40 पीएम पर कार्यालय नगरपालिका अनूपगढ के पास पहूंचा जहा, सह परिवादी राजेन्द्र कुमार नगरपालिका अनूपगढ में प्रवेष कर चूंका है तथा जगदीश राय मु.आ. व भवानी सिंह कानि. व राहूल क.स. नगरपालिका अनूपगढ के बाहर मुकिम है, मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। ट्रेप के ईंशारा का इंतजार है। वक्त 3.10 पीएम पर सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार ने नगरपालिका अनूपगढ की परिसर से मिसड कॉल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब नगरपालिका कार्यालय भवन में पहूंचे तो सह परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि पास में खड़े जैकेट पहने युवक की तरफ ईंशारा कर कहा कि यह भारत सोनी है, जिसने सुरेश कुमार स्टोरकीपर के कहने से मेरे से अभी-अभी 48,000/रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी जिन्स पेन्ट में रख लिये है, जिस पर उस युवक को ब्यूरो स्टॉफ से दस्तयाब करवाया गया, जिसको देखकर एक चश्मा लगा जैकेट पहना व्यक्ति एवं एक अन्य युवक भागते हुये दिखे जिन्हे ब्यूरो स्टाफ से दस्तयाब करवाया गया तथा उक्त तीनो को तसल्ली दी जाकर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अनूपगढ कार्यालय कक्ष में अलग-अलग बिठाया गया। सर्व प्रथम सह परिवादी द्वारा बताये गये भारत सोनी को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भारत सोनी पुत्र श्री हूकमचन्द जाति सोनी उम्र 33 साल निवासी वार्ड न. 17 शनिमंदिर के पास अनूपगढ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा) नगरपालिका अनूपगढ होना बताया। फिर भारत सोनी से सह परिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब मुझे इस सम्बधं में नही पता मुझे तो सुरेश कुमार स्टोरकीपर ने कहा था कि बाहर राजेन्द्र जी खड़े है, उनसे 48,000/रूपये ले लेना, जिस पर मैने अभी-अभी सुरेष जी स्टोरकीपर के कहने पर ही राजेन्द्र कुमार से 48000/रूपये रिश्वत के लिये है, जो मेरी जिन्स पेंट की जेब में रखे है। उक्त घटनाक्रम से सह परिवादी व आरोपी भारत सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी भारत सोनी के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी भारत सोनी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी भारत सोनी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी भारत सोनी से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी जिन्स पेंन्ट के सामने की दाहिनी साईड की जेब रखे होना बताया, जिस पर गवाह श्री राहूल से जैब चैक करवाने पर उसने 500-500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जो गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार को दिलवाये गये व दूसरे गवाह श्री राहूल को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने 500-500/रूपये के 96 नोट कुल 48,000/रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। उक्त बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जिन्सपेन्ट के दाहिनी साईड की आगे की जेब की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर भारत सोनी के पहनी जिन्स पेंट बरग काला

आगेकी दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात जिन्स पेंट की जेब को सुखाकर जिन्स पेन्टको एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया।उक्त रिश्वत बरामदगी एवं हाथ धुलाई आदि कार्यवाही की मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिग की गई, जिसका जुदागाना फर्द पैन ड्राईव तैयार कर शामिल कागजात किया जायेगा।फिर अन्य दस्तयाब किये गये दो व्यक्तियों में से सह परिवादी राजेन्द्र कुमार ने एक चश्मा लगे व्यक्ति को सुनील कुमार लेखाकार होना बताया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र श्री इन्द्राज राम जाति मेघवाल उम्र 38 साल निवासी गांव चक 5 यू.डी. एम. तहसील अनूपगढ हाल निवास वार्ड न. 22 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-ii, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। जिसे सह परिवादी राजेन्द्र कुमार के भुगतान कार्य एवं उससे प्राप्त की गई 48000/रूपये रिश्वत के सम्बधं में पूछा तो आरोपी सुनील कुमार ने बताया कि राजेन्द्र कुमार की फर्म आर.एन. इन्टरप्राईजेज अनूपगढ का मेरी लेखा शाखा में कोई भुगतान पेण्डिग नही है, इससे पूर्व इस फर्म से सम्बधिंत बिलो का भुगतान दिनाक 29.10.25 को किया जा चुका है, आज मेरे से राजेन्द्र कुमार मिला था, तब स्टोर में कोई भुगतान लम्बित होने की बात कर रहा था, तो मैने इसे सुरेश स्टोरकीपर से मिलने हेतु कहा था, मैने इससे पूर्व में और अब किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग नही की है। फिर सह परिवादी राजेन्द्र कुमार ने तीसरे दस्तयाब व्यक्ति को सुरेश कुमार स्टोरकीपर होना बताया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम राम जाति वाल्मीकि उम्र 39 साल निवासी वार्ड न. 4/5 प्रेमनगर अनूपगढ हाल सफाई जमादार, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। जिसे सह परिवादी राजेन्द्र कुमार के भुगतान कार्य एवं उससे भारत सोनी को दिलवाई 48000/रूपये रिष्वत के सम्बधं में पूछा तो आरोपी सुरेश कुमार ने बताया कि मेरे पास नगरपालिका अनूपगढ में स्टोरकीपर का चार्ज है, मेरे पास राजेन्द्र कुमार की फर्म आर.एन. इन्टरप्राईजेज अनूपगढके नगरपालिका में साफ सफाई कार्य के लिये ट्रेक्टर ट्राली उपलब्ध करवाने बाबत लिये गये ठेके से सम्बधिंत बिल राशि 3,54,110/रूपये दिनांक 19.01.26 मय लॉग बुक भुगतान हेतु स्टोर में प्रस्तुत किया था, जो लॉग बुक प्रमाणित नही होने के कारण मेरे पास पेण्डिग है, क्योंकि लॉग बुक प्रमाणित करवाने का कार्य फर्म का होता है, जब तक लॉग बुक प्रमाणित नही होगी तब तक भुगतान नही हो सकता। आज मेरे से राजेन्द्र कुमार मिला था, तो उन्होने मुझे अपना उक्त पेण्डिग भुगतान जल्द से जल्द करवाने हेतु कहा तथा मुझे बताया कि मेरे पिताजी को केंसर है, मुझे रूपयो की आवश्यकता है, तब मैने उन्हे जल्द भुगतान करवाने का कहा था, तब राजेन्द्र कुमार ने मुझे सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी के कहने पर 48000/रूपये देने चाहे तो मैने नही लेकर पास में खड़े भारत सोनी को दिलवा दिये।मैने राजेन्द्र कुमार से पूर्व में और अब किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग नही की है। फिर आरोपी सुनील कुमार को सह परिवादी से सम्बधिंत फर्म आर.एन. इन्टरप्राईजेज को जारी कार्यादेश क्रमांक 1441 दिनांक 25.06.25 एवं कार्यादेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 से सम्बधिंत भुगतान पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश पर सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी ने स्टोर शाखा से मंगवाकर प्रस्तुत कर बताया कि फर्म आर.एन. इन्टरप्राईजेज को वित्त वर्ष 2025-26 का नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, डीजल, ड्राईवर सहित किराये पर लेने का राशि 9.97 लाख रूपये का कार्य कार्यादेश क्रमांक 1441 दिनांक 25.06.25 से दिया हुआ है, जिसका बिल संख्या 03 दिनांक 01.10.25 राशि 4,09,611/रूपये बाद कटोति दिनांक 29.10.25 को भुगतान फर्म को किया चुका है, इसी फर्म को एक अन्य कार्यादेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 का जारी किया हुआ है,जिसका बिल संख्या 005 दिनांक 19.01.26 राशि 3,54,110/रूपये का बिल भुगतान हेतु स्टोर शाखा में राजेन्द्र कुमार द्वारा दिया गया है, जो स्टोरशाखा में लॉग बुक सम्बधिंत शाखा प्रभारी द्वारा प्रमाणित नही होने के कारण पेण्डिग है। इसी फर्म से ट्रेक्टर मय लॉडर किराये पर लेकर कार्य करवाया गया था, जिसका मुताबिक रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 108 दिनांक 07.11.25 के बाद कटौति 49,339/रूपये का फर्म को किया गया है। उक्त बिलो एवं रोकड़ बही के पृष्ठ की फोटो प्रति प्रमाणित करवाकर प्राप्त कर मूल दस्तावेज श्री चरण सिंह कामरा सर्वेयर को लौटाये गये। वक्त 5.15 पीएम पर सह परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री शिवदत्त कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'T' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 6.00 पीएम पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात नियमानुसार आरोपीगण को नोटिस बाबत कारण गिरफ्तारी दिये जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात अनवान सदर में घटनास्थल कार्यालय नगरपालिका अनूपगढ पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी

रिश्वत राशि तथा आरोपी भारत सोनी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री शिवदत्त कानि. से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क वी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क वी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 16 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 8.30 पीएम पर सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय चिकित्सालय अनूपगढ से चिकित्सा अधिकारी को मौका पर ही तलब किया जाकर तहरीर देकर गिरफ्तार शुदा तीनो आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट शामिल कागजात की गई। वक्त 9.05 पीएम मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर सह परिवादी राजेन्द्र कुमार को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी, सुरेश कुमार सफाई जमादार, भारत सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं प्राईवेट कार से रवाना होकर आरोपी सुरेष कुमार के रिहायशी मकान वार्ड न. 4/5 प्रेमनगर अनूपगढ पहूंचा, जहां श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. मय पुलिस थाना अनूपगढ के जाब्ता के हाजिर मिला। आरोपी सुरेश कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर आरोपी के मकान में प्रवेश किया तो मकान पुराना बना हुआ है, आरोपी के पिता श्री लीलाराम स्वंय उपस्थित है, ने स्वंय का होना बताया तथा आरोपी अपने माता-पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहना पाये जाने पर मकान की खाना तलाशी नही ली गई। वक्त 9.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपीगण सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी, सुरेश कुमार सफाई जमादार, भारत सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर मय ब्यूरो स्टाफ एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं प्राईवेट कार से मौका से रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर पहूंच, तीनो गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को तहरीर देकर रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में जमा करवाते हुये मय हमराहीयान दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 48,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा जिन्स पेन्ट, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री कुनाल भाटिया की फर्म मैसर्स आर.एन. इन्टरप्राईजेज अनूपगढ द्वारा नगरपालिका अनूपगढ में वित्त वर्ष 2025-26 का नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्रोली, डीजल, ड्राईवर सहित किराये पर लेने का राशि 9.97 लाख रूपये का कार्य ठेके पर ले रखा है, जिसका प्रथम बिल राशि 4,09,000/रूपये का बाद कटोति भुगतान फर्म को होना तथा अब दूसरा बिल राशि 3,06,000 /रूपये का बिल भुगतान हेतु श्री सुनील कुमार लेखाकार नगरपालिका अनूपगढ के पेश करना एवं इसी फर्म को नगरपालिका अनपूगढ के कार्य आदेश क्रमांक 3432 दिनांक 01.10.25 से नगरपालिका क्षेत्र में दीपावली पर साफ सफाई हेतु ट्रेक्टर ट्रोली डीजल मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया था, जिसका 50,000/रूपये का बिल भुगतान हेतु नगरपालिका में श्री सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी-IIके पेश किया गया। परिवादी के अनूपगढ नगरपालिका के उक्त कार्य की देख रेख सह परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा की जाती है, उनके द्वारा फर्म के पेण्डिग भुगतान के सम्बधं में सम्पर्क किया तो श्री सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी-IIव श्री सुरेश कुमार सफाई जमादार (स्टोरकीपर) ने उक्त किये गये भुगतान प्रथम बिल राशि 4,09,000/रूपये का 15 प्रतिषत कमीशन(रिश्वत) की मांग की तथा कमीशन देने पर ही पेण्डिग बिलो का भुगतान करने हेतु कहा है, नही देने पर भुगतान नही करने की धमकी दी। जिस पर परिवादी ने दिनांक 19.01.26 को ब्यूरो कार्यालय पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर सह परिवादी राजेन्द्र कुमार ने दिनांक 22.01.26 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी सुरेश कुमार स्टोरकीपर व सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी-II द्वारा भुगतान किये गये बिल राशि 4 लाख रूपये का 12 प्रतिषत कमीषन के हिसाब से 48,000/रूपये रिश्वत की मांग की है। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 29.01.26 को सह परिवादी राजेन्द्र कुमार आरोपी सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी-IIसे नगरपालिका अनूपगढ में मिला तो उसने रिश्वत राशि 48,000/रूपये सुरेश कुमार सफाई जमादार(स्टोरकीपर) को देने का कहना, जिस पर सह परिवादी आरोपी सुरेश कुमार सफाई जमादार(स्टोरकीपर) से मिलकर उसे रिश्वत राशि 48,000/रूपये देना चाहा तो आरोपी सुरेष कुमार ने स्वंय रिश्वत राशि नही लेकर भारत सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा) को सह परिवादी राजेन्द्र कुमार से दिलवाना, आरोपी भारत सोनी द्वारा रिश्वत राशि 48000/रूपये प्राप्त कर अपने पहनी जिन्स पेंन्ट के आगे की दाहिनी साईड की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी भारत सोनी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग गुलाबी, मटमैला एवं गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी भारत सोनी द्वारा उक्त रिश्वत राशि सुरेश कुमार सफाई जमादार के कहने से राजेन्द्र कुमार से प्राप्त करने एवं सुरेश कुमार द्वारा उक्त रिश्वत राशि सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी के कहने पर राजेन्द्र कुमार से भारत सोनी को दिलवाने के तथ्य स्वीकार करना, आरोपीगण के पास सह परिवादी के भुगतान सम्बधी कार्य पेण्डिग होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड

वार्ता में रिष्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी सुनील कुमार सहायक लेखाधिकारी-II एवं आरोपी सुरेश कुमार सफाई जमादार(स्टोरकीपर) तथा भारत सोनी कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा) नगरपालिका अनूपगढ द्वारा अपने-अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने-अपने पदो का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर सह परिवादी राजेन्द्र कुमार से 48,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस. का घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण (1)सुनील कुमार पुत्र श्री इन्द्राज राम जाति मेघवाल उम्र 38 साल निवासी गांव चक 5 यू0डी0एम0 तहसील अनूपगढ हाल निवास वार्ड न. 22 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-II, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर, (2) सुरेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम राम जाति वाल्मीकि उम्र 39 साल निवासी वार्ड न. 4/5 प्रेमनगर अनूपगढ हाल सफाई जमादार, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर तथा (3)भारत सोनी पुत्र श्री हूकमचन्द जाति सोनी उम्र 33 साल निवासी वार्ड न. 17 शनिमंदिर के पास अनूपगढ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा) नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बी.एन.एस.2023 में आरोपीगण (1)सुनील कुमार पुत्र श्री इन्द्राज राम जाति मेघवाल उम्र 38 साल निवासी गांव चक 5 यू0डी0एम0 तहसील अनूपगढ हाल निवास वार्ड न. 22 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक लेखाधिकारी-II, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर, (2) सुरेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम राम जाति वाल्मीकि उम्र 39 साल निवासी वार्ड न. 4/5 प्रेमनगर अनूपगढ हाल सफाई जमादार, नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर तथा (3)भारत सोनी पुत्र श्री हूकमचन्द जाति सोनी उम्र 33 साल निवासी वार्ड न. 17 शनिमंदिर के पास अनूपगढ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (निविदा) नगरपालिका अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री श्रवण कुमार बिश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बीकानेर मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 545 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 153-57 दिनांक 01.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- नगर पालिका मण्डल, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर 4- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर रेंज 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SHARWAN KUMAR BISHNOI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/02/2026 20:21:11

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				
2	Male	1987				
3	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)